न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2017RAAJu075RLRAct005 Jodhpur Vikas Pradhikarav
Vs Nilesh n ors and 7 others similar appeals

1. अपील संख्या : जोधपुर/एलआर/005/2017
जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर
जरिये सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

----- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. निलेश पुत्र रामसेवक ब्राह्मण,
   निवासी ग्राम सूथला, तहसील जोधपुर
   जिला जोधपुर
2. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार, जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित राजस्थान भू-राजस्व(नगरीय क्षेत्र में कृषि भूमि का आवासीय, वाणिज्यिक एवं सार्वजनिक उपयोगार्थ आवण्टन, संपरिवर्तन एवं नियमितीकरण) नियम, 1981 विरुद्ध आदेश दिनांक 11 अक्तूबर 1989 उपखण्ड अधिकारी (कृ.भू.रू.), जोधपुर प्रकरण संख्या 1511/1989

----- 0 -----

2. अपील संख्या : जोधपुर/एलआर/006/2017
जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर
जरिये सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

----- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. इन्द्रसिंह पुत्र फूससिंह
   निवासी ग्राम सूथला, तहसील जोधपुर
   जिला जोधपुर
2. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार, जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित राजस्थान भू-राजस्व(नगरीय क्षेत्र में कृषि भूमि का आवासीय, वाणिज्यिक एवं सार्वजनिक उपयोगार्थ आवण्टन, संपरिवर्तन एवं नियमितीकरण) नियम, 1981 विरुद्ध आदेश दिनांक 11 अक्तूबर 1989 उपखण्ड अधिकारी (कृ.भू.रू.), जोधपुर प्रकरण संख्या 1508/1989

----- 0 -----

3. अपील संख्या : जोधपुर/एलआर/007/2017
जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर
जरिये सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

----- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. मजरी पुत्री रामसेवक ब्राह्मण,
   निवासी ग्राम सूथला, तहसील जोधपुर
   जिला जोधपुर
2. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार, जोधपुर

----- रेस्पो.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम, 1956 सपठित राजस्थान
भू-राजस्व(नगरीय क्षेत्र में कृषि भूमि का
आवासीय, वाणिज्यिक एवं सार्वजनिक उपयोगार्थ
आवण्टन, संपरिवर्तन एवं नियमितीकरण)
नियम, 1981 विरूद्ध आदेश दिनांक 11 अक्तूबर
1989 उपखण्ड अधिकारी (कृ.भू.रू.), जोधपुर
प्रकरण संख्या 1512/1989

----- 0 -----

4. अपील संख्या : जोधपुर/एलआर/008/2017
जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर
जरिये सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

----- **अपीलाण्ट**

ब

ना

म

1. दिनेश पुत्र रामसेवक ब्राह्मण,
   निवासी ग्राम सूथला, तहसील जोधपुर
   जिला जोधपुर
2. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार, जोधपुर

----- **रेस्पो.**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम, 1956 सपठित राजस्थान
भू-राजस्व(नगरीय क्षेत्र में कृषि भूमि का
आवासीय, वाणिज्यिक एवं सार्वजनिक उपयोगार्थ
आवण्टन, संपरिवर्तन एवं नियमितीकरण)
नियम, 1981 विरूद्ध आदेश दिनांक 11 अक्तूबर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

1989 उपखण्ड अधिकारी (कृ.भू.रू.), जोधपुर
प्रकरण संख्या 1514/1989

----- 0 -----

5. अपील संख्या : जोधपुर/एलआर/009/2017
जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर
जरिये सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

----- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. पोकरराम पुत्र लाबुराम विश्नोई
   निवासी ग्राम सूथला, तहसील जोधपुर
   जिला जोधपुर
2. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार, जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित राजस्थान भू-राजस्व(नगरीय क्षेत्र में कृषि भूमि का आवासीय, वाणिज्यिक एवं सार्वजनिक उपयोगार्थ आवण्टन, संपरिवर्तन एवं नियमितीकरण) नियम, 1981 विरुद्ध आदेश दिनांक 11 अक्तूबर 1989 उपखण्ड अधिकारी (कृ.भू.रू.), जोधपुर
प्रकरण संख्या 1512/1989

----- 0 -----

6. अपील संख्या : जोधपुर/एलआर/010/2017
जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर
जरिये सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

----- अपीलाण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

ब

ना

म

1. पदमसिंह पुत्र गिरधारीसिंह राजपूत
   निवासी ग्राम सूथला, तहसील जोधपुर
   जिला जोधपुर
2. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार, जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित राजस्थान भू-राजस्व(नगरीय क्षेत्र में कृषि भूमि का आवासीय, वाणिज्यिक एवं सार्वजनिक उपयोगार्थ आवण्टन, संपरिवर्तन एवं नियमितीकरण) नियम, 1981 विरुद्ध आदेश दिनांक 11 अक्तूबर 1989 उपखण्ड अधिकारी (कृ.भू.रू.), जोधपुर प्रकरण संख्या 1510/1989

----- 0 -----

7. अपील संख्या : जोधपुर/एलआर/011/2017
जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर
जरिये सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

----- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. अमरसिंह पुत्र भीमसिंह जरिये कायममुकाम-
   a. श्रीमती उच्छबकंवर पत्नी अमरसिंह राजपूत
      निवासी ग्राम सूथला, तहसील जोधपुर
      जिला जोधपुर
2. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम, 1956 सपठित राजस्थान
भू-राजस्व(नगरीय क्षेत्र में कृषि भूमि का
आवासीय, वाणिज्यिक एवं सार्वजनिक उपयोगार्थ
आवण्टन, संपरिवर्तन एवं नियमितीकरण)
नियम, 1981 विरुद्ध आदेश दिनांक 11 अक्तूबर
1989 उपखण्ड अधिकारी (कृ.भू.रू.), जोधपुर
प्रकरण संख्या 1507/1989

----- 0 -----

8. **अपील संख्या : जोधपुर/एलआर/012/2017**
जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर
जरिये सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

----- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. श्रीमती उच्छबकंवर पत्नी अमरसिंह राजपूत
निवासी ग्राम सूथला, तहसील जोधपुर
जिला जोधपुर
2. राजस्थान सरकार
जरिये तहसीलदार, जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम, 1956 सपठित राजस्थान
भू-राजस्व(नगरीय क्षेत्र में कृषि भूमि का
आवासीय, वाणिज्यिक एवं सार्वजनिक उपयोगार्थ
आवण्टन, संपरिवर्तन एवं नियमितीकरण)
नियम, 1981 विरुद्ध आदेश दिनांक 11 अक्तूबर

1989 उपखण्ड अधिकारी (कृ.भू.रू.), जोधपुर
प्रकरण संख्या 1506/1989
----- 0 -----

उपस्थित-

श्री दीपसिंह भाटी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो
रेस्पो. संख्या एक की ओर से कोई उपस्थित नहीं

नि र्ण य

दिनांक : 06 फरवरी 2020

ये आठों अपीलें अपीलाण्ट द्वारा विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (कृ.भू.रू.) जोधपुर द्वारा स्वप्रेरणा प्रकरण संख्या 1511/1989 एवं अन्य 7 समान प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 11 अक्तूबर 1989 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 सपठित राजस्थान भू-राजस्व(नगरीय क्षेत्र में कृषि भूमि का आवासीय, वाणिज्यिक एवं सार्वजनिक उपयोगार्थ आवण्टन, संपरिवर्तन एवं नियमितीकरण) नियम, 1981 के तहत दिनांक 21 फरवरी 2017 को प्रस्तुत की गयी है। इन अपीलों के तथ्य, विधिक बिन्दु, वादग्रस्त आराजियात एवं परिस्थितियॉं एक समान होने के कारण एक ही निर्णय के जरिये एक साथ इनका निस्तारण किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक संबंधित पत्रावली के साथ संलग्न रखी जावे।

अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

एक अन्य प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर स्वयं को वादग्रस्त आराजी में हितबद्ध व्यक्ति होना तथा अपीलाधीन आदेश से प्रतिकूलरूपेण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रभावित पक्ष होना जाहिर करते हुए अपीलाधीन आदेश के खिलाफ अपील पेश करने की अनुमति दिये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपील दिनांक 22 फरवरी 2017 को subject to limitation and subject to permission for Appeal दर्ज की जाकर रेस्पो. के सम्मन जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। 28 जून 2017 को रेस्पो. संख्या दो की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पो. संख्या एक का सम्मन रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया एवं उसके बाद समाचार पत्र दैनिक नवज्योति दिनांक 24 अक्तूबर 2019 में सूचना प्रकाशित कराये जाने के बावजूद भी रेस्पो. संख्या एक की ओर से अदालत हाजा के समक्ष कोई उपस्थित नहीं हुआ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब किये जाने पर अंतन्तोगत्वा यह विदित हुआ कि संबंधित पत्रावली न्यायालय विशेष न्यायाधीश, सेशन न्यायालय (भ्र.नि.अ.) जोधपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में वांछित होने से इस न्यायालय हेतु उपलब्ध नहीं है। चूंकि प्रकरण राजकीय सिवाय चक भूमि बाबत स्वप्रेरणा प्रकरण बाबत किये गये नियमितीकरण से संबंधित है और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अभाव में अनावश्यक रूप से प्रकरण लगभग 2 वर्ष से विलम्बित हो रहा है, जबकि अपील पत्रावली में निम्नलिखित दस्तावेजात की सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर से प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपियॉ उपलब्ध है --

1. अपीलाधीन आदेश दिनांक 11 अक्तूबर 1989,
2. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो. संख्या एक की ओर से प्रस्तुत शपथपत्र,
3. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो. संख्या एक के अधिवक्ता का वकालतनामा,
4. मौका स्थिति की जांचदल की रिपोर्ट तहसीलदार (कृषि भूमि रूपान्तरण, जोधपुर)
5. रकम जमा कराने की रसीदें

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

6. पट्टा विलेख मय नक्शा दिनांक 7 जनवरी 1992 जो निर्णय दिनांक 11 अक्तूबर 1989 के अनुसरण में पत्रावली संख्या 1511/89 ग्राम सुथला के खसरा संख्या 130/5 में 1269.07 वर्गगज भूमि बाबत अतिरिक्त कलेक्टर (कृषि भूमि रूपान्तरण)जोधपुर द्वारा रेस्पो. संख्या एक के नाम जारी किया गया।

यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि इन प्रकरणों से संबंधित वादग्रस्त आराजियात के संबंध में राजस्थान सरकार के राजस्व (भूमि रूपान्तरण) विभाग द्वारा दिनांक 27 मई 1999 को ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 805/769 व 734 तथा ग्राम सूंथला के खसरा संख्या 130/5 एवं 130/97 में विधि-विरुद्ध पट्टे जारी किये जाने की विस्तृत जॉच का आदेश दिये गये।

इसलिए इन सभी के परिप्रेक्ष्य में उभयपक्ष की सहमति से अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली की प्रतीक्षा किये बिना ही आलौच्य प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायहित में उचित समझा जाता है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि--

1. राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्कालीन जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा आदेश कमांक राजस्व/आब/न्यास/सूथला/87/260 दिनांक 20 अप्रेल 1988 के द्वारा ग्राम सूंथला के खसरा संख्या 130 कुल रकबा 45 बीघा 07 बिस्वा में से मौके पर खाली पडी कुल 20 बीघा भूमि अपीलाण्ट के लिए आबादी प्रयोजनार्थ सेट-अपार्ट की गयी एवं इसके साथ ही खसरा संख्या 129 कुल रकबा 30

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बीघा में से 17 बीघा 08 बिस्वा खाली पडी भूमि भी आबादी प्रयोजनार्थ सेट अपार्ट की गयी।

2. उक्त आदेश के अनुसरण में म्युटेशन संख्या 124 दिनांक 30 जून 1988 को भस गया और खसरा संख्या 170/130 रकबा 20 बीघा का कब्जा अपीलाण्ट को सुपुर्द किया गया।

3. खसरा संख्या 130 की कुछ भूमि राजस्थान आवासन मण्डल को भी आवण्टित की गयी थी तथा इसी में से खसरा संख्या 130/2 रकबा 8 बीघा न्यायालय के निर्णयानुसार कन्हैयालाल को खातेदार दर्ज किया गया, जिसने अपनी खातेदारी की भूमि अलग-अलग टुकडों में श्रीमती मांगूदेवी पत्नी छोलाराम एवं हस्तुदेवी पत्नी अन्नाराम, जगाराम पुत्र मंगलाराम, छैलाराम पुत्र भभूतराम, हंसराज पुत्र सागरमल को बेचान कर दी तथा उक्त केताओं ने अपनी कयशुदा भूमि पंजीबद्ध विकय विलेख के आधार पर अपने हक में म्युटेशन तस्दीक की कार्यवाही के बाद अपीलाण्ट के हक में समर्पित कर नियमानुसार आपसी बंटवाडा कर खसरा संख्या 130/2 का ले-आउट प्लान स्वीकृत कर अपीलाण्ट द्वारा पट्टे जारी किये जाने की कार्यवाही भी कर दी गयी।

4. खसरा संख्या 130/2 के पट्टाधारकों, आवासन मण्डल एवं अपीलाण्ट के मध्य मुकदमेंबाजी भी हुई जिसमें अब न्यायालय द्वारा निस्तारण किया जा चुका है। वर्तमान में इस खसरा की भूमि अपीलाण्ट के क्षेत्राधिकार में है।

5. ग्राम सूंथला में खसरा संख्या 130/97 वास्तव में कोई खसरा है ही नहीं और ग्राम सूंथला के खसरा संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

130/97 एवं खसरा संख्या 130/5 उपखण्ड अधिकारी (भूमि रूपान्तरण) जोधपुर के निर्णय दिनांक 11 अक्तूबर 1989 की पत्रावलियों में कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर स्वप्रेरणा प्रकरण दिनांक 02 सितम्बर 1989 को दर्ज किये गये, 05 सितम्बर 1989 को अधिवक्ता श्री उपेन्द्र दवे का वकालतनामा पेश हुआ, 11 अक्तूबर 1989 को प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक की ओर से सबूत-शपथपत्र पेश होना अंकित किया गया एवं उसी दिन अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया और 07 जनवरी 1992 को अतिरिक्त कलेक्टर (भू.रू.) जोधपुर द्वारा आठों प्रकरणों में पट्टे जारी किये गये। समस्त कार्यवाही आठों प्रकरणों में एक साथ एक समान तौर पर सम्पादित हुई है।

6. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त आठों प्रकरणों में से किसी भी प्रकरण में प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक खातेदार नहीं है, किसी भी प्रकरण में शपथपत्र, तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश, तीनों में ही वर्णित तथ्यों एवं विवरणों/सूचनाओं में समानता का अभाव है, किसी प्रकरण में खसरा नम्बर की भिन्नता है तो किसी प्रकरण में प्रार्थी के नाम या जाति में भिन्नता है।

7. प्रार्थी-रेस्पो. की व्यक्तिगत पहचान संबंधी दस्तावेज भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

8. उपखण्ड अधिकारी (भूमि रूपान्तरण) को आबादी क्षेत्र में पट्टा जारी करने का कोई कानूनी अधिकार उपलब्ध नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है तथा राज्य सरकार से इस बाबत कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है।

9. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि का स्वत्वाधिकार होते हुए भी अपीलाण्ट पक्षकार नहीं था और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपीलाधीन निर्णय बाबत अपीलाण्ट को समुचित समय में कोई जानकारी नहीं हो पायी। अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रकरण संख्या 1506/1989 उच्छबकंवर व अन्य बनाम सरकार के मामले में कार्यालय पुलिस अधीक्षक भ्रष्टचर निरोधक ब्युरो, जोधपुर का पत्र दिनांक 3 फरवरी 2016 प्राप्त होने पर हुई। तब सभी संबंधित रेकार्ड की जानकारी प्राप्त करने की कार्यवाही आरम्भ की गयी और इसी कम में 22 सितम्बर 2016 को उक्त पट्टों की नकलें प्राप्त होनेपर अपने स्तर पर लगातार विभागीय कार्यवाही कर दस्तावेजात जांच करने के बाद यह अपील अन्दर मियाद पेश की गयी है।

10. अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश बिना किसी अधिकार एवं आधार के पारित किया गया एक प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी आदेश है, जिसके संबंध में समय सीमा अधिनियम के प्रावधान लागू ही नहीं होते है।

11. अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलाण्ट के अधीन योजना क्षेत्र की भूमि है और

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाधीन आदेशों से अपीलाण्ट के हित प्रतिकूलरूपेण प्रभावित होने के कारण अपील पेश किया जाना आवश्यक हो गया। अतः इस निमित्त प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे।

रेस्पो. संख्या दो की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आघोपान्त अवलोकन किया गया।

जो दस्तावेजात अपील स्तर पर अपीलाण्ट की ओर से पेश किये गये है, उनमें कार्यालय कलेक्टर जोधपुर के पत्र कमांक राजस्व/आब/न्याय/सूथला/87/260 दिनांक 20 अप्रेल 1988 की छायाप्रति के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अन्य भूमि के साथ-साथ खसरा संख्या 130 कुल रकबा 45 बीघा 07 बिस्वा में से मौके पर खाली पडी 20 बीघा भूमि का में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग में नगर सुधार न्यास जोधपुर के पक्ष में सेट अपार्ट का आदेश किया गया, उक्त भूमि वर्तमान में अपीलाण्ट के पक्ष में निहित हो चुकी है। जिससे अपीलाण्ट वादग्रस्त आराजी से हितबद्ध और अपीलाधीन आदेशों से प्रतिकूलरूपेण प्रभावित पक्षकार है। अतः अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त से प्रकट होता है कि समस्त आठों प्रकरण स्वप्रेरणा से ही प्रस्तुत किये गये और **सभी प्रकरण एक ही दिनांक 02 सितम्बर 1989 को दर्ज किये गये, एक ही दिनांक 05 सितम्बर 1989 को अधिवक्ता श्री उपेन्द्र दवे का वकालतनामा पेश हुआ, सभी प्रकरणों में एक ही दिनांक** 11

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अक्तूबर 1989 को प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक की ओर से सबूत-शपथपत्र पेश होना अंकित किया गया एवं उसी दिन अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया और एक ही दिन 07 जनवरी 1992 को अतिरिक्त कलेक्टर (भू.रू.) जोधपुर द्वारा आठों प्रकरणों में पट्टे जारी किये गये। समस्त कार्यवाही आठों प्रकरणों में एक साथ एक समान तौर पर सम्पादित हुई है। यही नहीं, किसी भी प्रकरण में प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक खातेदार नहीं है, किसी भी प्रकरण में शपथपत्र, तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश, तीनों में ही वर्णित तथ्यों में समानता नहीं है, किसी प्रकरण में खसरा नम्बर की भिन्नता है तो किसी प्रकरण में प्रार्थी के नाम या जाति में भिन्नता है। इस स्थिति को निम्नलिखित तालिका की सहायता से और अधिक स्पष्ट जा रहा है--

क्र. सं.	अपील संख्या	स्वप्रेरणा प्रकरण संख्या एवं रेस्पो. संख्या एक (अप्रार्थी) का नाम	तहसीलदार (भू.रू.) जांचदल की रिपोर्ट में नाम, खसरा न., किस्म	शपथपत्र में नाम, खसरा सं. एवं शपथकर्ता की प्रास्थिति	वकालतनामा में रेस्पो. संख्या एक का नाम	अपीलाधीन आदेश दि. 11अक्तू. 1989 में रेस्पो. का नाम, खसरा सं. व भूमि का नाप	पट्टा विलेख 7.1.92 में नाम, खसरा सं. व क्षेत्रफल
1	5/2017	निलेश पुत्र रामसेवक 1511/89	निलेश पुत्र रामचन्द्र 130/97 राजकीय सिवायचक	देवराज ख. सं. 130/97 सह खातेदार	निलेश पुत्र रामसेवक ब्राहम्ण	निलेश पुत्र रामसेवक ब्राहम्ण ख.सं. 130/5. 1269.07 वर्गगज	निलेश पुत्र रामसेवक ख.सं. 130/5 1269.07 वर्गगज
2	6/2017 इन्द्रसिंह के कायम मुकाम	इन्द्रसिंह पुत्र फूसासिंह राजपूत 1508/89	विजयसिंह पुत्र फूसासिंह ख.सं. 130/5 राजकीय सिवायचक	विजयसिंह पुत्र फूसासिंह ख.सं. 130/5 सह खातेदार	इन्द्रसिंह पुत्र फूसासिंह राजपूत	विजयसिंह पुत्र फूसासिंह ख.सं. 130/5 899.96 वर्गगज	इन्द्रसिंह पुत्र फूसासिंह ख.सं. 130/5 899.96 वर्गगज

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	स्वप्रेरणा प्रकरण संख्या एवं रेस्पो. संख्या एक (अप्रार्थी) का नाम	तहसीलदार (भू.रू.) जांचदल की रिपोर्ट में नाम, खसरा न., किस्म	शपथपत्र में नाम, खसरा सं. एवं शपथकर्ता की प्रास्थिति	वकालतनामा में रेस्पो. संख्या एक का नाम	अपीलाधीन आदेश दि. 11अक्तू. 1989 में रेस्पो. का नाम, खसरा सं. व भूमि का नाप	पट्टा विलेख 7.1.92 में नाम, खसरा सं. व क्षेत्रफल
3	7/2017 मंजरी पुत्री रामसेवक ब्राहम्ण	मंजरी पुत्री रामसेवक ब्राहम्ण 1512/89	मजरी पुत्री रामसेवक ब्राहम्ण ख.सं.130/5 राजकीय सिवायचक	निता पुत्री रामसेवक ब्राहम्ण ख.सं. 130(97) सह खातेदार	मंजरी पुत्री रामसेवक ब्राहम्ण	मजरी पुत्री रामसेवक ब्राहम्ण ख.सं. 130/5 400 वर्गगज	मजरी पुत्री राम सेवक ब्राहम्ण . ख.सं. 130/5 400 वर्गगज
4	8/2017 दिनेश पुत्र रामसेवक ब्राहम्ण	दिनेश तिवारी पुत्र रामसेवक ब्राहम्ण 1514/89	दिनेश तिवारी पुत्र रामसेवक ख.सं.130/5 राजकीय सिवायचक	दिनेश तिवारी पुत्र रामसेवक ख.सं. 130/97 सह खातेदार	दिनेश तिवारी पुत्र रामसेवक	दिनेश तिवारी पुत्र रामसेवक ख.सं. 130/5 863.33 वर्गगज	दिनेश पुत्र रामसेवक ख.सं. 130/5 863.33 वर्गगज
5	9/2017 पोकरराम पुत्र लावूराम विश्नोई	पोकरराम पुत्र लावूराम विश्नोई 1513/89	पोकरराम पुत्र लाभूराम ख.सं.130/5 राजकीय सिवायचक	पोकरराम पुत्र लाबूराम ख.सं. 130/97 सह खातेदार	पोकरराम पुत्र लाभूराम विश्नोई	पोकरराम पुत्र लाभूराम ख.सं. 130/97 1293.19 वर्गगज	पोकर राम पुत्र लाभूराम ख.सं. 130/5 1293.19 वर्गगज
6	10/2017 पदमसिंह पुत्र गिरधारीसिंह राजपूत	पदमसिंह पुत्र गिरधारी सिंह राजपूत 1510/89	पदमसिंह पुत्र गिरधारी सिंह राठौड ख.स. 130/5 राजकीय	पदमसिंह पुत्र गिरधारी सिंह राजपूत ख.स. 130/5	पदमसिंह पुत्र गिरधारी सिंह राजपूत	पदमसिंह पुत्र गिरधारी सिंह ख.स. 130/5 1186.64	पदमसिंह पुत्र गिरधारी सिंह ख.स. 130/5 1186.64

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	स्वप्रेरणा प्रकरण संख्या एवं रेस्पो. संख्या एक (अप्रार्थी) का नाम	तहसीलदार (भू.रू.) जांचदल की रिपोर्ट में नाम, खसरा न., किस्म	शपथपत्र में नाम, खसरा सं. एवं शपथकर्ता की प्रास्थिति	वकालतनामा में रेस्पो. संख्या एक का नाम	अपीलाधीन आदेश दि. 11अक्तू. 1989 में रेस्पो. का नाम, खसरा सं. व भूमि का नाप	पट्टा विलेख 7.1.92 में नाम, खसरा सं. व क्षेत्रफल
			सिवाय चक	सह खातेदार		वर्गगज	वर्गगज
7	11/2017 अमरसिंह के कायममुकामान	अमरसिंह पुत्र भीमसिंह 1507/89	अमरसिंह पुत्र भीमसिंह ख.सं. 130/5 राजकीय सिवाय चक	अमरसिंह पुत्र भीमसिंह ख.सं. 130/97 सहखातेदार	अमरसिंह पुत्र भीमसिंह	अमरसिंह पुत्र भीमसिंह ख.सं. 130/5 1059.99 वर्गगज	अमरसिंह पुत्र भीमसिंह ख.सं. 130/5 1059.99 वर्गगज
8	12/2017 श्रीमती उच्छब कंवर पत्नी अमरसिंह	उच्छब कंवर पत्नी अमरसिंह 1506/89	उच्छब कंवर पत्नी अमरसिंह ख.सं. 130/5 राजकीय सिवाय चक	उच्छब कंवर पत्नी अमरसिंह ख.सं. 130/97 सह खातेदार	उच्छब कंवर पत्नी अमरसिंह	उच्छब कंवर पत्नी अमरसिंह ख.सं. 130/5 में से 1066.64 वर्गगज	उच्छब कंवर पत्नी अमरसिंह ख.सं. 130/97 1066.64 वर्गगज

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्वतः सिद्ध है कि स्वप्रेरणा प्रकरण, शपथपत्रों, तहसीलदार द्वारा पेश मौका जॉच रिपोर्ट, अपीलाधीन आदेश एवं उसके आधार पर जारी पट्टा-विलेख में अंकित नाम एवं आराजी के खसरा नम्बर आदि में एकरूपता/समानता नहीं है। साथ ही अपील संख्या 6/2017 (स्वप्रेरणा प्रकरण संख्या 1508/89) तथा अपील संख्या 7/2017 (स्वप्रेरणा प्रकरण संख्या 1512/89) में अप्रार्थी-रेस्पो. इन्द्रसिंह की बजाय विजयसिंह तथा मंजरी पुत्री रामसेवक की बजाय निता पुत्री रामसेवक का शपथपत्र प्रस्तुत हुआ है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

इतना ही नहीं, अपील संख्या 6/2017 में रेस्पो. संख्या एक इन्द्रसिंह की तलबी हेतु सम्मनों की तामील के कम में दिनांक 8 नवम्बर 2019 को अपीलाण्ट की ओर से प्रार्थनापत्र पेश किया गया कि रेस्पो. इन्द्रसिंह की तलबी हेतु कई मर्तबा जारी किये जाने के उपरान्त भी सम्मन अदम तामील लौट आये, और जानकारी में आया कि उक्त इन्द्रसिंह का देहान्त हो गया, तो इस कारण अपीलाण्ट के द्वारा अपने कार्यालय के पटवारी एवं कर्मचारी के माध्यम से इन्द्रसिंह अथवा उसके वारिसान के बाबत लिखे पते पर जॉच करायी गयी। उक्त प्रार्थनापत्र के साथ जॉच रिपोर्ट एफ49/90-क पश्चिम/2018/3079 दिनांक 4 अप्रेल 2018 पेश की गयी। उक्त रिपोर्ट में हलफिया जाहिर किया गया है कि मौके पर गया,श्री इन्द्रसिंह पुत्र फूसासिंह और इनके वारिसान के बारे में कोई जानकारी मालूम नहीं हो सकी। इसी कम में पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में जाहिर किया है मौके पर आस-पास निवासियों से श्री इन्द्रसिंह एवं उसके वारिसान के संबंध में पूछताछ की गई परन्तु सभी ने उक्त नाम एवं उनके वारिसान के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की गई। इन परिस्थितियों में उक्त रेस्पो. की पहिचान साबित नहीं होने के कारण सम्मन तामिल नहीं कराये जा सके।

सभी प्रकरणों में शपथपत्रों में शपथग्रहीता द्वारा स्वयं को प्रश्नगत आराजी का सहखातेदार जाहिर किया गया है, जबकि तहसीलदार की रिपोर्ट में उसको अतिकमी एवं प्रश्नगत आराजी राजकीय सिवायचक होना वर्णित किया गया है।

इससे अधिवक्ता-अपीलाण्ट के इस कथन को बल मिलता है कि समस्त प्रकरणों में कूटरचित फर्जी दस्तावेजात पेश कर नियमितीकरण की कार्यवाही की गयी है। कुल आठ में से तीन प्रकरण एक ही परिवार के तथा दो प्रकरण पति-पत्नी के है जो कार्यवाही को सद्भाविक नहीं होना

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

इंगित करते है। इस तथ्य को इन प्रकरणों से संबंधित एक जांच रिपोर्ट जो पत्रावली पर उपलब्ध है और मजबूती मिलती है।

यह भी उल्लेखनीय है कि Rajasthan Land Revenue (Allotment, Convesion & Regularisation of Agricultural Land for Residential and Commercial [and Public Utility] Purposes in Urban Areas) Rules, 1981 के नियम 1(3) के अनुसार ये नियम राजकीय गजट नोटिफिकेशन में अपने प्रथम प्रकाशन की दिनांक जो 26 दिसम्बर 1981 है, से प्रभाव में आये है और इन नियमों के नियम 2(1)(ए) के अनुसार **प्राधिकृत अधिकारी जिला कलेक्टर अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष शक्तियॉ प्रदत्त अधिकारी माना गया है।** आलौच्य मामलों में अपीलाधीन आदेश **उपखण्ड अधिकारी** द्वारा पारित किये गये है मगर उसमें अथवा अन्य किसी स्तर पर यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा कब और किस आदेश के जरिये उपखण्ड अधिकारी जोधपुर को उक्त नियम, 1981 के नियम 2(1)(ए) में किये गये प्रावधानानुसार प्राधिकृत अधिकारी नामित कर इसमें प्रदत्त की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु सशक्त किया गया। ऐसे सक्षम आदेश के अभाव में. **उपखण्ड अधिकारी** द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से परे की श्रेणी में पारित आदेश पाये जाते है।

यह भी ध्यान दिये जाने योग्य है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 11 अक्तूबर 1989 के अनुसरण में आठों प्रकरणों में पट्टा विलेख एक ही दिनांक 07 जनवरी 1992 को नियमितिकरण करने वाले उपखण्ड अधिकारी जोधपुर की बजाय अतिरिक्त कलेक्टर (कृषि भूमि रूपान्तरण), जोधपुर द्वारा जारी किये गये है। जिसको स्थानान्तरित करने के संबंध में भी कोई सक्षम आदेश नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जहॉ तक अपीलें पेश करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, अपीलाण्ट के द्वारा प्रार्थनापत्र में वर्णित परिस्थितियों के मद्दे-नजर संतोषजनक कारण है। यदि मेरिट पर प्रकरण सशक्त एवं सारवान पाये जाते हैं, तो इन कारणों ये अपील प्रकरण मियाद जैसे तकनीकी विन्दु पर खारिज किये जाने की वजाय गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर उक्त आठों अपीलें स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन तदनुसार **आदेश दिनांक 11 अक्तूबर 1989 एवं उसके अनुसरण में जारी पट्टा-विलेख अपास्त किये जाते** है। निर्णय की प्रति प्रत्येक संबंधित पत्रावली में संलग्न रखी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/2/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर